RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक २६] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३-९, २०१७/श्रावण १२-१८, शके १९३९ [पृष्ठे २३

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०१६.— महाराष्ट्र निरसन अधिनियम, २०१६. . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन् २०१६.— महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) का वेतन और भत्ता, महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य पेन्शन और महाराष्ट्र विधानमंडल के विरोधी पक्ष नेता का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३, सन् २०१६.— दण्ड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	१०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४, सन् २०१६.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	१२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५, सन् २०१६.— महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अधिनियम, २०१६. . .	१४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, सन् २०१६.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	१७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७, सन् २०१६.— महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्य निरर्हता (संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	२०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८, सन् २०१६.— महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	२२

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2016.

THE MAHARASHTRA REPEALING ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २३ अगस्त २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माळी,
सरकार के प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2016.

AN ACT TO PROVIDE FOR REPEAL OF CERTAIN STATE ENACTMENTS.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २४ अगस्त २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

कतिपय राज्य अधिनियमितियों के निरसन के लिए उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि कतिपय राज्य अधिनियममितियों का निरसन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र निरसन अधिनियम, २०१६ कहलाये ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

२. इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा, निरसित की जाती है।

व्यावृत्ति।

३. किन्हीं अधिनियमितियों का इस अधिनियम द्वारा निरसन, किन्ही अन्य अधिनियमितियों को, जिन्हे निरसित अधिनियमितियाँ लागू, निर्गमित या निर्देशित होती है, प्रभावित नहीं करेगा ;

और यह अधिनियम, विधिमान्यता, अविधिमान्यता, कोई पहले से ही कृत किसी बात या होने दिये गये प्रभाव या परिणाम, या पहले से ही अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, हक्क, आक्षेप या दायित्व, या उसके संबंध में कोई उपाय या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, आक्षेप, दायित्व, दावा या माँग का या से अभित्याग या निरसन, या पहले से ही मंजूर की गई कोई क्षतिपूर्ति, या भूतकाल में किये गये किसी कृत्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा :

यह अधिनियम, एतद्द्वारा, निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से, वहीं क्रमशः किसी रित्या समर्थित या मान्यताप्राप्त या व्युत्पन्न होते हुये भी, विधि का कोई सिद्धांत या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन का प्ररुप या पाठ्यक्रम, व्यवहार या कार्यवाही या विद्यमान उपयोग, व्यापार, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा ;

किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसन किये जाने पर किसी अधिकारिता, पद, व्यापार, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, अवरोध, छूट, उपयोग, व्यवहार, प्रक्रिया या अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है अन्य मामला या बात को पुनर्विलोकित या पुनःस्थापित नहीं करेगा ।

अनुसूची

(देखिए धारा २)

अनु. क्र.	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	१८७६	१५	महाराष्ट्र नगर पालिका डिबेन्चर अधिनियम।
२.	१८८२	७	महाराष्ट्र उतराई तथा घाटे भाड़ा फीस अधिनियम।
३.	१८८८	१२	बॉम्बे शहर नगर पालिका (अनुपूरक) अधिनियम, १८८८।
४.	१८९८	१	बॉम्बे शहर नगर पालिका निवेश अधिनियम, १८९८।
५.	१९१८	६	बॉम्बे अन्यदेशियों की निरर्हता अधिनियम, १९१८।
६.	१९२२	११	कैदियों की पहचान (बॉम्बे संशोधन) अधिनियम, १९२२।
७.	१९३३	२०	प्रेसिडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम (बॉम्बे संशोधन) अधिनियम, १९३३।
८.	१९३५	२१	कैदियों की पहचान (बॉम्बे द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९३५।
९.	१९३६	१५	भारतीय पागलपन, बॉम्बे जिला नगर पालिका तथा पौर बॉम्बे नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, १९३६।
१०.	१९३८	१८	भूमि अर्जन (बॉम्बे संशोधन) अधिनियम, १९३८।
११.	१९३९	१५	प्रेसिडेन्सी-नगर दिवाला तथा प्रान्तीय दिवाला (बॉम्बे संशोधन) अधिनियम, १९३९।
१२.	१९४५	२०	भूमि अर्जन (बॉम्बे संशोधन) अधिनियम, १९४५।
१३.	१९४८	२२	बॉम्बे शरणार्थी अधिनियम, १९४८।
१४.	१९४८	५१	प्रेसिडेन्सी-नगर दिवाला (बॉम्बे संशोधन) अधिनियम, १९४८।
१५.	१९५०	७	बॉम्बे नगर (सीमाओं का विस्तार) अधिनियम, १९५०।
१६.	१९५४	६८	बॉम्बे गैर-अनुसूचित को विधियों का विस्तार (अंशतः अपवर्जित) क्षेत्र अधिनियम, १९५४।
१७.	१९५५	१६	प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (वाद विधिमान्यकरण) अधिनियम, १९५५।
१८.	१९५६	५८	बॉम्बे नगर (सीमाओं का अधिकतर विस्तार तथा अनुसूची **बीबीए**) (संशोधन) अधिनियम, १९५६।
१९.	१९५७	१	सर चिनुभाई माधवलाल रणछोडलाल बॅरोनसी (निरसन) अधिनियम, १९५६।
२०.	१९५७	३६	सर ससून जेकब डेविड बॅरोनसी (निरसन) अधिनियम, १९५७।
२१.	१९५८	४६	बॉम्बे नगरपार्षदों की निरर्हता (संदेहों का निराकरण) अधिनियम, १९५८।
२२.	१९५८	४८	बॉम्बे रेस कोर्स अनुज्ञापन और बाजी लगाना कर अधिनियम (विस्तार और संशोधन) अधिनियम, १९५८।
२३.	१९६०	९	सर करीमभाई इब्राहिम बॅरोनसी (निरसन तथा न्यास की संपत्ति का वितरण) अधिनियम, १९५९।
२४.	१९६१	८	बॉम्बे नगर कर तथा नगरीय स्थावर संपत्ति कर (बृहतर बॉम्बे के विस्तारित उपनगर के कतिपय क्षेत्रो में विधिमान्यकरण) अधिनियम, १९६०।

(१) (२)	(३)	(४)
२५. १९६२	४०	नगरीय स्थावर संपत्ति कर (उत्सादन) तथा सामान्य कर (अधिकतम दरों में वृद्धि) अधिनियम, १९६२।
२६. १९६३	१०	केन्द्रीय प्रान्तीय तथा काऊचिंग के बेरर विनियम (महाराष्ट्र विस्तार तथा संशोधन) अधिनियम, १९६२।
२७. १९६४	१९	नागपुर नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९६४।
२८. १९६४	४०	बॉम्बे प्रसूति प्रसुविधा, हैद्राबाद प्रसुति प्रसुविधा तथा केंद्रीय प्रान्तीय तथा बेरर प्रसुति प्रसुविधा (निरसन) अधिनियम, १६६४।
२९. १९६५	२६	सर कावसजी जहाँगीर बरोनसी (निरसन) अधिनियम, १९६४।
३०. १९६५	३४	बॉम्बे प्रांतीय नगर निगमों तथा नागपुर नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९६५।
३१. १९६५	४३	वक्फ (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, १९६५।
३२. १९६५	४९	अंबरनाथ अन्तरिम नगरपालिका (गठन तथा कार्य) विधिमान्यता अधिनियम, १९६५।
३३. १९६६	३	पौर नगरपालिका (भवनों और भूमियों पर कतिपय करों की विधिमान्यता) अधिनियम, १९६५।
३४. १९६७	१	मध्य प्रदेश आवास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, १९६६।
३५. १९६७	६	बॉम्बे ग्रामीण पुलिस (नियुक्ति और उपखंड मजिस्ट्रेट विधिमान्यकरण द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही) अधिनियम, १९६७।
३६. १९६७	३५	महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९६७।
३७. १९६८	२३	नागपुर नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९६८।
३८. १९६९	३	महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९६८।
३९. १९७१	१	बॉम्बे विक्रय कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण उपबंध) अधिनियम, १९७०।
४०. १९७१	१३	महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९७०।
४१. १९७३	१०	महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध (कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, १९७२।
४२. १९७३	२५	भारतीय भागीदारी (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, १९७३।
४३. १९७५	३	नागपुर नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९७४।
४४. १९७६	३२	महाराष्ट्र न्यायालय-फीस की अदायगी के लिए विशेष उपबंध अधिनियम, १९७६।
४५. १९६७	३३	महाराष्ट्र डॉग रेस पाठ्यक्रम अनुज्ञापन अधिनियम, १९७६।
४६. १९७७	४२	महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९७७।
४७. १९७९	२१	बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम तथा नागपुर नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९७९।
४८. १९८०	६	महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९८०।
४९. १९८०	२०	महाराष्ट्र नगर निगम तथा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९८०।
५०. १९८१	१२	बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम, नागपुर नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९८१।
५१. १९८१	६८	बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम, नागपुर नगर निगम और महाराष्ट्र नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९८१।
५२. १९८१	६९	बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम, नागपुर नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९८१।
५३. १९८३	२७	बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम, नागपुर नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९८३।

(१) (२)	(३)	(४)
५४. १९८४	७	बॉम्बे नगर निगम, बॉम्बे प्रांतीय निगम, नागपुर नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९८४।
५५. १९८५	३	बॉम्बे नगर निगम, बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम, नागपुर नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९८५।
५६. १९८७	३८	बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम, तथा नागपुर नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९८७।
५७. १९८९	२८	महाराष्ट्र नगर निगम तथा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९८९।
५८. १९९०	११	महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९९०।
५९. १९९०	१२	महाराष्ट्र नगर निगम तथा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९९०।
६०. १९९०	१३	महाराष्ट्र नगर निगम तथा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९९०।
६१. १९९०	३३	नागपुर नगर निगम तथा महाराष्ट्र नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९९०।
६२. १९९१	१५	नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९९१।
६३. १९९१	२१	महाराष्ट्र नगरपालिका (नगर परिषदों के निर्वाचन का अस्थायी स्थगन) अधिनियम, १९९१।
६४. १९९१	२६	नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९९१।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2016.

THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN) AND THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER) SALARIES AND ALLOWANCES, THE MAHARASHTRA MINISTERS' SALARIES AND ALLOWANCES, THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS' SALARIES AND ALLOWANCES, THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS' PENSION AND THE LEADER OF OPPOSITION IN MAHARASHTRA LEGISLATURE SALARIES AND ALLOWANCES (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ अगस्त २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
सरकार के प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN) AND MAHARASHTRA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER) SALARIES AND ALLOWANCES ACT, THE MAHARASHTRA MINISTERS' SALARIES AND ALLOWANCES ACT, THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS SALARIES AND ALLOWANCES ACT, THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS' PENSION ACT, 1976 AND THE LEADER OF OPPOSITION IN MAHARASHTRA LEGISLATURE SALARIES AND ALLOWANCES ACT, 1978.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २४ अगस्त २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) का वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों का वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र विधान मंडल सदस्य पेन्शन अधिनियम, १९७६ और महाराष्ट्र विधान मंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, १९७८ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) का वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र विधान मंडल सदस्यों का वेतन और भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र विधान मंडल सदस्य पेन्शन अधिनियम, १९७६ और महाराष्ट्र विधान मंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, १९७८ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष, में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

सन् १९५६ का ४७।
सन् १९५६ का ४८।
सन् १९५६ का ४९।
सन् १९७७ का महाराष्ट्र १।
सन् १९७८ का महाराष्ट्र ८।

अध्याय एक

प्रारम्भिक

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विधानपरिषद (सभापति तथा उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) का वेतन और भत्ता, महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता, महाराष्ट्र विधान मंडल सदस्य वेतन और भत्ता, महाराष्ट्र विधान मंडल सदस्य पेन्शन और महाराष्ट्र विधान मंडल के विरोधी पक्ष नेता का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

अध्याय दो

महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति तथा उप-सभापति) महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) का वेतन तथा भत्ता अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५६ का ४७।

२. महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापति और उप-सभापति) और महाराष्ट्र विधानसभा (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) वेतन और भत्ता अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, " सभापति और उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन और भत्ता अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३ में निम्न धारा रखी जायेगी अर्थात् – सन् १९५६ का ४७ की धारा ३ में संशोधन ।

" **३.** इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सभापति और अध्यक्ष को, उनकी पदावधि के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को अनुज्ञेय और समय-समय से यथा पुनरीक्षित मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के समतुल्य वेतन अदा किया जायेगा ।"। सभापति और अध्यक्ष का वेतन।

३. विधान परिषद सभापति और उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन और भत्ता अधिनियम, की धारा ५ की उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी । सन् १९५६ का ४७ की धारा ५ में संशोधन।

४. सभापति और उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन और भत्ता अधिनियम, की धारा १० में निम्न धारा रखी जायेगी अर्थात् :– सन् १९५६ का ४७ की धारा १० में संशोधन।

" **१०.** इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-सभापति और उपाध्यक्ष को, उनकी पदावधि के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के अपर मुख्य सचिव को अनुज्ञेय और समय-समय से यथा पुनरीक्षित मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के समतुल्य वेतन अदा किया जायेगा ।"। उप-सभापति और उपाध्यक्ष का वेतन।

५. महाराष्ट्र विधान परिषद सभापति तथा उप-सभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा १२ख, उसकी उप-धारा (१) के रुप में पुनःक्रमांकित की जायेगी, और,– सन् १९५६ का ४७ की धारा १२ख में संशोधन ।

(क) इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) में, "१५,००० रुपये" अंकों तथा अक्षरों के स्थान में "२५,००० रुपये" अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

"(२) सभापति, अध्यक्ष, उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष, को संगणक प्रचालक की सेवा उपलब्ध करने के लिये प्रति माह रु, १०,००० का भुगतान किया जायेगा। " ;

(ग) पार्श्व टिप्पणी में "निजी सहायक" शब्दों के पश्चात्, "तथा संगणक प्रचालक" शब्द जोड़े जायेंगे।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५६ का ४८ की धारा ३ में संशोधन।

६. महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ में,— सन् १९५६ का बम्बई ४८।

मंत्री और राज्य मंत्री के वेतन।

"**३.** (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मंत्री को, उनकी पदावधि के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को अनुज्ञेय और समय-समय से यथा पुनरीक्षित मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के समतुल्य वेतन अदा किया जायेगा।

(२) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य मंत्री को, उनकी पदावधि के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के अपर मुख्य सचिव को अनुज्ञेय और समय-समय से यथा पुनरीक्षित मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के समतुल्य वेतन अदा किया जायेगा ;।"।

सन् १९५६ का ४८ की धारा ८ में संशोधन।

७. मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा ८ की उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५६ का महा.४८ की धारा ८क का अपमार्जन।

८. मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा ८ क अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५६ का ४८ की धारा १०क में संशोधन।

९. महाराष्ट्र मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम की धारा १०ग, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनः क्रमांकित की जायेगी और,—

(क) इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) में, "१५,००० रुपये" अंको और अक्षर के स्थान में, "२५,००० रुपये" अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(२) संगणक प्रचालक की सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए प्रति माह १०,००० रुपयों की रकम प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री को अदा की जायेगी ।" ;

(ग) पार्श्व टिप्पणी में, "निजी सहायक" शब्दों के पश्चात्, "और संगणक प्रचालक" शब्द जोड़े जायगें।

अध्याय चार

महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, में संशोधन।

सन् १९५६ का ४८ की धारा ३ में संशोधन ।

१०. महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, "विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ की,— सन् १९५६ का ४९।

(क) उप-धारा (१) में निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात्—

"(१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सदस्यों को, उनकी पदावधि के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव को अनुज्ञेय और समय-समय से यथा पुनरीक्षित मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के समतुल्य वेतन अदा किया जायेगा।";

(ख) उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी।

(ग) पार्श्व टिप्पणी में, "और समेकित भत्ते" शब्द अपमार्जित किए जाएँगें।

सन् १९५६ का ४९ की धारा ४ में संशोधन ।

११. विधानमंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम की धारा ४ में, "१,००० रुपये" अंको और अक्षर के स्थान में, "२,००० रुपये" अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

सन् १९५६ का ४९ की धारा ६ में संशोधन।

१२. विधान मंडल सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा ६ की,—

(क) उप-धारा (३) में, "१५,००० रूपये" अंकों और अक्षर के स्थान में, " २५,००० रूपये " अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

(ख) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(३क) संगणक प्रचालक की सेवाएँ उपलब्ध करने के लिये प्रति माह १०,००० रुपयों की रकम प्रत्येक सदस्य को अदा की जायेगी।";

(ग) उप-धारा (४) अपमार्जित की जाएगी।

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य पेन्शन अधिनियम, १९७६ में संशोधन।

सन् १९७७ का महा. १।

१३. महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्य पेन्शन अधिनियम, १९७६ की धारा ३ की उप-धारा (१) में "चालीस हजार रूपये" शब्दों के स्थान में, " पचास हजार रूपये" शब्द रखे जायेंगे। सन् १९७७ का महा. १ की धारा ३ में संशोधन।

अध्याय छह

महाराष्ट्र विधानमंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, १९७८ में संशोधन।

सन् १९७७ का महा. ८।

१४. महाराष्ट्र विधानमंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, १९७८ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, "महाराष्ट्र विधानमंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम" कहा गया है।) की धारा ३ के स्थान में निम्न धारा रखी जायेगी अर्थात् :— सन् १९७८ का महा. ८ की धारा ३ में संशोधन।

"३. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक विरोधी पक्ष नेता को, उनकी पदावधि के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को अनुज्ञेय और समय-समय से यथा पुनरीक्षित मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के समतुल्य वेतन अदा किया जाएगा।"। विरोधी पक्ष नेता का वेतन।

१५. महाराष्ट्र विधानमंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, की धारा ३क अपमार्जित की जायेगी। सन् १९७८ का महा. ८ की धारा ३क में संशोधन।

१६. महाराष्ट्र विधानमंडल विरोधी पक्ष नेता वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९७८ की धारा १० क उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी, और,— सन् १९७८ का महा. ८ की धारा १०क में संशोधन।

(क) इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-धारा (१) मे, "१५,००० रूपये" अंकों तथा अक्षर के स्थान में "२५,००० रूपये" अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात् निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(२) संगणक प्रचालक की सेवाएँ उपलब्ध करने के लिये प्रति माह १०,००० रूपयों की रकम विरोधी पक्ष के प्रत्येक नेता को अदा की जायेगी।"।

(ग) पार्श्व टिप्पणी में "निजी सहायक" शब्दों के पश्चात् "तथा संगणक प्रचालक" शब्द जोडे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2016.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक ११ अगस्त २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माळी,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३ सन् २०१६।

(जो की राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ३० अगस्त २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, एतद्द्वारा, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९७४ का २।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

(२) यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

सन् १९७४ का अधिनियम २ की धारा १५६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (जिसे इसमें आगे, " उक्त संहिता " कहा गया है) की धारा १५६, की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, जोडे जाएँगे, अर्थात् :— सन् १९७४ का २।

" परंतु, कोई भी मॅजिस्ट्रेट, इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा परिभाषित लोकसेवक है या था, उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए ऐसे लोकसेवक द्वारा किए गए कार्य के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९७ के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पूर्ववर्ती मंजूरी को छोड़कर किसी जाँच-पड़ताल का आदेश नहीं दे सकेगा : सन् १९७४ का २।

परंतु आगे यह कि, मंजूरी प्राधिकारी, मंजूरी के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, निर्णय ले सकेगा और इस मामले में मंजूरी प्राधिकारी उक्त नब्बे दिनों की नियत अवधि के भीतर निर्णय लेने में असफल रहता है तो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यह मंजूरी दी गई समझी जाएगी । "।

सन् १९७४ का अधिनियम क्र. २ की धारा १९० में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा १९० की उप-धारा (१) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

सन् १९७४ का २।

" परंतु, कोई भी मॅजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९७ के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पूर्ववर्ती मंजूरी को छोड़कर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा परिभाषित कोई व्यक्ति जो लोकसेवक है या था, उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए, उसके द्वारा किए गए कथित किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा :

परंतु आगे यह की, मंजूरी के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, मंजूरी प्राधिकारी निर्णय ले सकेगा और इस मामले में मंजूरी प्राधिकारी उक्त नब्बे दिनों की नियत अवधि के भीतर निर्णय लेने में असफल रहता है तो मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यह मंजूरी दी गई समझी जाएगी । "।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2016.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १५ अक्तूबर, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ अक्तूबर, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधि अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, २१ जनवरी, २०१६ को महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ को प्रख्यापित किया था ; सन् २०१६ का महा. अध्या. २।

और क्योंकि ९ मार्च, २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, २०१६ (विधानसभा का विधेयक क्र. ३) १५ मार्च, २०१६ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधानपरिषद को पारेषित किया गया था और उसे उस सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया प्रस्ताव पारित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, १३ अप्रैल, २०१६ को महाराष्ट्र विधान परिषद के सत्र का सत्रावसान हो जाने के कारण, उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका था;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३(२) (क) के द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान के पश्चात्, अर्थात्, १९ अप्रैल, २०१६ के बाद प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

ओर क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे "उक्त जारी रहना अध्यादेश" कहा गया है) १८ अप्रैल, २०१६ को प्रख्यापित हुआ था; सन् २०१६ का महा. अध्या. ६।

और क्योंकि, उक्त जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह २१ जनवरी २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ महा. का २४।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ग क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७३ग क में, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (३क) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व दस वर्ष की अवधि के भीतर, किसी भी समय पर या ऐसे प्रारम्भण के पश्चात्, किसी भी समय पर भारतीय रिझर्व बैंक की अपेक्षा के अनुसार बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में, यदि उसकी समिति के अधिक्रमण के लिए आदेश धारा ११०क के अधीन बनाया गया है तब ऐसी समिति का कोई सदस्य, ऐसी बैंक की समिति पर पुनर्नियुक्त होने, पुनर्नामनिर्देशित होने, पुनर्निर्वाचित होने या पुनःसहयोजित होने के लिए या समिति के अधिक्रमण के आदेश के दिनांक से समिति के दो सत्रों की अवधि के लिए ऐसी बैंक या किसी अन्य बैंक के समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने, नामनिर्देशित होने, या निर्वाचित होने या सहयोजित होने के लिए पात्र नहीं होगा। "।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ६।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ६ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2016.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) (AMENDMENT AND CONTINUANCE) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ अक्तूबर २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माळी,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक १७ अक्तूबर २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने १६ जून २०१५ को महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ प्रख्यापित किया था और राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उक्त अध्यादेश को बदलने के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१५ (सन् २०१५ का विधानसभा विधेयक क्र. २८ सन् २०१५) १४ जुलाई, २०१५ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, परन्तु, उक्त सत्र के ३१ जुलाई, २०१५ को सत्रावसित होने के पूर्व उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ; सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १४।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था जिसमें राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर अर्थात्, २३ अगस्त, २०१५ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१५, २१ अगस्त, २०१५ को प्रक्यापित हुआ था और उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) विधेयक, २०१५ (सन् २०१५ का विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१) ८ दिसम्बर, २०१५ को महाराष्ट्र विधानसभा में पुरःस्थापित किया गया था, परन्तु उक्त सत्र २३ दिसम्बर, २०१५ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक पारित नहीं हो सका था ; सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था जिसमें राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् १७ जनवरी, २०१६ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे, " जारी रहना अध्यादेश " कहा गया है) १६ जनवरी, २०१६ को प्रख्यापित हुआ था और उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) विधेयक, २०१६ (सन् २०१६ का विधानसभा विधेयक क्रमांक ४) १५ मार्च, २०१६ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधानपरिषद को पारेषित किया गया था परन्तु, उक्त सत्र १३ अप्रैल, २०१६ को सत्रावसित होने के पूर्व, महाराष्ट्र विधानपरिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १।

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के द्वारा यथा उपबंधित उक्त जारी रहना अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् १९ अप्रैल २०१६ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त जारी रहना अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे, द्वित्तीय "जारी रहना" अध्यादेश कहा गया है) १८ अप्रैल, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ८।

और क्योंकि उक्त द्वितीय जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं, अर्थात् :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अधिनियम, २०१६ कहलाए । संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

(२) यह १६ जून २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १३, की उप-धारा (१ख) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :— सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

सन् १९६४ का महा. २०।

" (१ग) (क) राज्य सरकार, **राजपत्र** में किसी आदेश द्वारा,—

(एक) चार विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड़, रुपयों से अधिक है ; और

(दो) दो विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड़ रुपयों तक है,

को नियुक्त कर सकेगी जो कृषि, कृषक प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, अर्थशास्त्रीय या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त विशेष निमंत्रितियों को, बाजार समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परंतु, उसकी बैठक में मत देने का अधिकार नही होगा ।

(ग) विशेष निमंत्रितियों का पदावधि, बाजार समिति के सदस्यों की पदावधि के साथ ही सहपर्यवसित होगी । " ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ८ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ८।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी के उपबंधों अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2016.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १५ अक्तूबर २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हि. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ अक्तूबर २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् २०१६ का महा. अध्या. ५।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६, २ मार्च २०१६ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि ९ मार्च २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, सन् २०१६ (वि.स. विधेयक क्र. ७ सन् २०१६) ६ अप्रैल २०१६ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र १३ अप्रैल २०१६ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् १९ अप्रैल २०१६ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; और, इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन तथा द्वितीय जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे " उक्त द्वितीय जारी रहना अध्यादेश " कहा गया है) १८ अप्रैल को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०१६ का महा. अध्या. ७।

और क्योंकि उक्त द्वितीय जारी रहना अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह २ मार्च, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा २ के खण्ड (१४-क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४।

" (१४-क) " कृत्यकारी निदेशक " का तात्पर्य, समिति द्वारा नामनिर्देशित प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है, चाहे जो भी नाम से पुकारा जाए ;" ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ककक में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ७३ ककक की, उप-धारा (२) में,—

(क) द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखे जायेंगे अर्थात् :—

परंतु आगे यह कि, समिति, कृत्यकारी निदेशक के रूप में एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगी :

परंतु यह भी कि, ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग के मामले में जहाँ संस्था के स्थायी वैतनिक कर्मचारियों की संख्या पच्चीस या अधिक है तो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे अधिसूचित कर सकेगी, समिति में,—

(एक) जहाँ समिति ग्यारह सदस्यों से अनधिक सदस्यों से गठित है, संस्था के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि है ; और

(दो) जहाँ समिति ग्यारह सदस्यों से अधिक तथा इक्कीस से अनधिक सदस्यों से गठित है, संस्था के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि, शामिल होंगे।

कर्मचारियों के ऐसे प्रतिनिधि, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम या महाराष्ट्र व्यापार संघ मान्यता तथा अनुचित श्रम प्रथा की रोकथाम अधिनियम, १९७१ के अधीन मान्यताप्राप्त संघ या संघों द्वारा चुने जायेंगे। जहाँ ऐसे मान्यताप्राप्त संघ या अनेक संघ न हो या जहाँ कोई संघ ही न हो या जहाँ संघ मान्यताप्राप्त है या नहीं है समेत ऐसे वादों के संबंध में विवाद है तब, कर्मचारियों के ऐसे प्रतिनिधि विहित रित्या उनमें से, संस्था के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। कोई भी कर्मचारी जो निलंबन के अधीन है, वह इस परंतुक के अधीन समिति के सदस्य के रूप में चयनित या निर्वाचित किये जाने के लिये या निरंतर रहने के लिये पात्र नहीं होगा : सन् १९४७ का ११। सन् १९७२ का महा. १।

परंतु यह भी कि, तृतीय परंतुक के उपबंधों के अनुसार, चयनित या निर्वाचित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार होगा लेकिन उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। " ;

(ख) तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु यह भी कि, सरकार की ओर उसकी शेअर पूंजी के अंशदान वाली संस्था के संबंध में समिति सरकार द्वारा नामित, निम्न दो सदस्यों को भी सम्मिलित करेगी, अर्थात् :—

(एक) सहकारी संस्थाओं के सहायक रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का एक सरकारी अधिकारी, और

(दो) संस्था के कार्य से संबंधित अपेक्षित अनुभव और सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट करें ऐसी अर्हता रखने वाला एक व्यक्ति ;";

(ग) चतुर्थ परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ग क में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ७३ ग क की, उप-धारा (१) के, खण्ड (छह) में, "७३क " अंकों तथा अक्षरों को स्थान में, ७३ ककक अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे।

सन् २०१६ का महा. अध्या. ७ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

सन् २०१६ का महा. अध्या. ७।

५. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन तथा दूसरी बार जारी रहना) अध्यादेश, २०१६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधन मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVII OF 2016.

THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBER'S DISQUALIFICATION (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १५ दिसम्बर २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBER'S DISQUALIFICATION ACT, 1986.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १६ दिसम्बर २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :— सन् १९८७ का महा. २० ।

संक्षिप्त नाम । **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १९८७ का महा. २० की धारा ३ में संशोधन । **२.** महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ की,— सन् १९८७ का महा. २० ।

(एक) उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के पश्चात्, —

(क) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु, यदि खण्ड (ख) के अधीन किसी राजनीतिक दल या आघाडी या फ्रन्ट से संबंधित कोई पार्षद या सदस्य निरर्ह होता है तो वह उसकी निरर्हता के दिनांक से, छह वर्षों के लिए पार्षद या सदस्य होने के लिए निरर्ह होगा : " ;

(ख) विद्यमान परंतुक में, " परंतु " शब्दों के स्थान में, " परंतु आगे यह कि " शब्द रखे जाएँगे ।

(दो) उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (५) इस धारा के अधीन निरर्हता का अवधि, धारा ७ में निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश के दिनांक से परिगणित की जायेगी। "।

३. मूल अधिनियम की धारा ३क उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुन:क्रमांकित की जाएगी ; और इस प्रकार पुन:क्रमांकित उप–धारा (१) के पश्चात्,— सन् १९८७ का महा. २० की धारा ३क में संशोधन ।

(क) " धारा ३ के अधीन " शब्दों और अंक के स्थान में, " धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) के अधीन " शब्दों, कोष्ठकों, अक्षर तथा अंकों को रखा जाएगा ;

(ख) **स्पष्टीकरण** के पूर्व, निम्नलिखित उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

(२) किसी राजनीतिक दल या आघाडी या फ्रन्ट से संबंधित कोई पार्षद या, यथास्थिति, कोई सदस्य जो धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन पार्षद या, यथास्थिति, सदस्य होने के लिए निरर्ह हुआ है तो वह अपनी निरर्हता के दिनांक से प्रारंभ होनेवाली छह वर्षो की कालावधि की अवधि के लिए कोई भी लाभकारी राजनीति पद धारण करने के लिए भी निरर्ह होगा । "।

४. मूल अधिनियम की धारा ७ के, अंतमें, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९८७ का महा. २० की धारा ७ में संशोधन ।

" परन्तु, आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसा निर्णय लेगा। "।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVIII OF 2016.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, *NAGAR PANCHAYATS* AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० दिसम्बर २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVIII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT, 1965.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २१ दिसम्बर २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९६५ का महा. ४०।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ९ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की, धारा ९ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (ख) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" नगर परिषद के मामले में, जहाँ अध्यक्ष, धारा ५१क-१क के अधीन सीधे रूप से निर्वाचित किया गया हैं, वहाँ इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष खण्ड (ख) के अधीन पार्षद नामनिर्देशित करेगा। "।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१क-१क में संशोधन। **३.** मूल अधिनियम की धारा ५१क-१क की, उप-धारा (९) में,—

(एक) " कलक्टर " शब्द के स्थान में, " अध्यक्ष " शब्द रखा जायेगा ;

(दो) अंतमें, निम्न, जोड़ा जायेगा :—

" धारा ५१क की उप-धारा (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५१क-१क के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। "।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.